

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय कारण बताओ नोटिस

क्रमांक 4693 /
II-13-9/2021

बिलासपुर, दिनांक 17 मई, 2021

प्रति,

श्री खिस्ट विकास तिग्गा
आत्मज श्री खिस्तो दास तिग्गा
मकान नम्बर-111 (ख),
ग्राम-कुकरीचोली, तहसील-भैंसमा
जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन-495674.

विषय :- बिना किसी पूर्व सूचना/आवेदन के दिनांक 24.10.2020 से लगातार अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में।

संदर्भ :- रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक 3414 दिनांक 10.03.2021.

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आप बिना किसी पूर्व सूचना/आवेदन के दिनांक 24.10.2020 से लगातार अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित चल रहे हैं। इस संबंध में आपकी ओर कारण बताओ नोटिस क्रमांक 3414 दिनांक 10.03.2021 जारी करते हुए आपको 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया गया था कि अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आपकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। उक्त नोटिस की तामिली आपको डाक विभाग के द्वारा दिनांक 17.03.2021 को करायी जा चुकी है परन्तु आप आज दिनांक तक न तो अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए हैं और न ही आपके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद्वारा आदेशानुसार आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य पर उपस्थित होवें अन्यथा आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आपकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

सही/-

(पंकज शर्मा)

एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई. एण्ड ई.)

पृष्ठां. क्रमांक 4694 /
II-13-9/2021

बिलासपुर, दिनांक 17 मई, 2021

प्रतिलिपि:-

प्रभारी रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)-सह-सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि वे द्वितीय कारण बताओ नोटिस की प्रति उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें,

Cesum 17.05.21

(पंकज शर्मा)

एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई. एण्ड ई.)